केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 313/टीएल/2024 **दिनांक : 4.12.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016, भारत द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "राजस्थान आरईजेड पीएच–IV (भाग–2:5.5 जीडब्ल्यू) (जैसलमेर/बानेर कॉम्प्लेक्स): भाग ई से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	2x240 एमवीएआर (765 केवी) बस रिएक्टर सहित ऋषभदेव के निकट उपयुक्त स्थान पर (जिला उदयपुर) पर 765 केवी सबस्टेशन की स्थापना • 240 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर–2 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x80 एमवीएआर) • 765 केवी बस रिएक्टर बे–2 नं. • 765 केवी लाइन बे – 6 नं. [ऋषभदेव एस/एस पर 765 केवी सिरोही पीएस – ऋषभदेव – मंदसौर डी/सी लाइन और 765 केवी चितौडगढ़ – बनासकांटा डी/सी लाइन के एक सर्किट का लीलो के लिए] भावी प्रावधान: **निम्नलिखित के लिए स्थान** • बे सहित 765/400 केवी आईसीटी – स्पयेर यूनिट सहित 5 नं. • स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी लाइन – 6 नं. • बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर – 1 नं. • स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे – 4 नं. • 400 केवी लाइन बे – 4 नं. • बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर : 3 नं. • 400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे – 2 सेट • बे सहित 400/220 केवी आईसीटी – 6 नं. • 220 केवी लाइन बे – 10 नं. • 220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे : 2 सेट • 220 केवी बीसी (3 नं.) और टीबीसी (3 नं.) • स्टेटकॉम (4x125 एमवीएआर) सहित (2x±300 एमवीएआर) और 400 केवी बे के 2 नं. सहित एमएसआर (2x125 एमवीएआर)	एसपीवी अधिग्रहण से 24 मास
2.	• सिरोही छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित सिरोही पीएस – ऋषभदेव 765 केवी डी/सी लाइन • सिरोही पीएस – ऋषभदेव 765 केवी डी/सी लाइन के लिए सिरोही पीएस पर 765 केवी लाइन बे का 2 नं.	
3.	• ऋषभदेव छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित ऋषभदेव – मंदसौर पीएस 765 केवी डी/सी लाइन • ऋषभदेव – मंदसौर पीएस 765 केवी डी/सी लाइन के लिए मंदसौर पीएस पर 765 केवी लाइन बे का 2 नं.	
4.	• ऋषभदेव एस/एस पर 765 केवी चितौडगढ़ – बनासकांटा डी/सी लाइन के एक सर्किट का लीलो	

नोट:

i) सिरोही पीएस का विकासकर्ता स्पेयर यूनिट सहित, स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान सहित सिरोही पीएस पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।

ii) मंदसौर पीएस का विकासकर्ता मंदसौर पीएस पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।

iii) स्विचेबल लाइन रिएक्टरों को एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 5.9.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 313/टीएल/2024 में दिनांक 3.12.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. **राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियां, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 13.12.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 16.12.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव